राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

वर्ष 2008–09 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध देशी मदिरा विक्रय के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते

1. पात्रता

देशी मदिरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र हेतु वे ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत इस प्रकार का अनुज्ञापत्र धारण करने की योग्यता रखते है । मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन पत्र देने के लिये अयोग्य रहेगें :–

(क) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जामिन के रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,

(ख) वर्ष 2007–08 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिनमें माह दिसम्बर, 2007 तक की एकाकी विशेषाधिकार राशि / लाईसेंस फीस की कोई राशि बकाया हो,

(ग) कोई भी व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम आयु का हो एवं जिन्हें अपात्र मानकर वर्ष 2008–09 हेतु उनका अनुज्ञापत्र नवीनीकरण बाबत आवेदन अस्वीकार किया गया हो,

(घ) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनिमय, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत गंभीर अपराध का कोई मामला दर्ज हो, अथवा उसमें सजायाब हुआ हो,

(ड) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 74 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति ।

2. अवधि

अनुज्ञापत्र की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2008 सें 31.3.2009) होगी।

3. आवेदन पत्र

3.1 जिस जिले की दुकान / दुकानो हेतु आवेदन किया जाना हैं आवेदन प्रपत्र उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में स्टेशनरी चार्ज रू0 30/– अदा कर प्राप्त किया जा सकता हैं। जिन दुकानो/दुकान समूहो के संदर्भ में आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है उनकी सूचि आवेदन प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराई जायेगी। आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये आवेदन पत्र पर ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये। कोई व्यक्ति चाहे तो विभाग की वेब साईट **http://www.rajexcise.org** से आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड़ कर उसमें आवेदन कर सकेगा।

3.2 किसी भी व्यक्ति को तीन से अधिक दुकान/दुकान समूह आवंटित नही किये जायेगें। यदि कोई व्यक्ति तीन से अधिक दुकानो/दुकान समूह हेतु आवेदन करता हैं तथा तीन से अधिक दुकान/दकान समूह हेतु उसका चयन हो जाता हैं तो उसे वह दुकाने/ दुकान समूह आवंटित किये जायेगे जिसके लिये सबसे कम आवेदन प्राप्त हुये हो। दुकान/दुकान समूह हेतु समान संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को वह दुकाने/ दुकान समूह आवंटित किये जायेगे जिसकी वार्षिक राशि अधिक हो । इस प्रकार एक से अधिक जिलो में आवेदन वह अपनी जोखिम पर करेगा तथा एक से अधिक जिलों में तीन दुकान समूह से अधिक समूह के आवंटन की जानकारी होने पर विभाग अपने विवेक से उसे जारी स्वीकृतियों में से तीन समूह को छोड़कर शेष निरस्त कर सकेगा तथा इस प्रकार निरस्त की गई दुकान / दुकान समूहों पेटे उसके द्वारा जमा करवाई गई कोई राशि वापसी योग्य नही होगी तथा निरस्त की गई ऐसी दुकान का पुनः बन्दोबस्त नही होने अथवा कम राशि पर होने की स्थिति में अन्तर की राशि भी ऐसे व्यक्ति से वसूल की जायेगी ।

3.3 आवेदक को आवेदन शुल्क (जो बिन्दु संख्या 3.1 पर उल्लेखित स्टेशनरी चार्जेज के अलावा होगा) निम्नानुसार जमा कराना होगा जो कि non refundable होगा :–

क्र.सं.	विवरण	आवेदन शुल्क की राशि रूपये में
1	जिन दुकान/दुकान समूह की वार्षिक राशि रू0 दस लाख तक है	1500/–
2	दस लाख से अधिक वार्षिक राशि की दुकान/दुकान समूह	3000/–

3.4 आवेदक भागीदार फर्म होने की दशा में अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व पार्टनरशिप डीड की प्रति विभाग को प्रस्तुत करनी होगी । आवेदन पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है ।

3.5 आवेदक को आवेदन पत्र के भाग – 1 व 2 की सही पूर्ति कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

3.6 आवेदनकर्ता किसी दुकान/दुकानों के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ अपने नाम व पते के सत्यापन हेतु निवास प्रमाण पत्र / टेलिफोन बिल/ बिजली बिल/ केडिट कार्ड/ आयकर विभाग का पेन कार्ड / निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र इत्यादि में से किसी एक की फोटो प्रति संलग्न करेगा।

3.7 सफल आवेदक को दुकान / दुकान समूह की वार्षिक राशि की 5% के बराबर स्वयं अपनी आर्थिक हैसियत का प्रमाण – पत्र अथवा मोतबीर जमानत दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ।

3.8 आवेदन पत्र के भाग – 1 पर आवेदक अपने हस्ताक्षर किसी राजकीय विभाग के अधिकारी / निरीक्षक अथवा ग्राम सेवक / पटवारी अथवा नगर पालिका / परिषद / निगम / पंचायत समिति / जिला परिषद के सदस्य से प्रमाणित करवाये ।

3.9 आवेदक को आवेदन पत्र के भाग 1 व 3 पर अपने स्व – हस्ताक्षरित फोटो लगाने होगें ।

3.10 जो आवेदन अपूर्ण होगें अथवा जिसके लिये निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया गया हो, ऐसे आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

4. वार्षिक राशि, बेसिक लाईसेंस फीस

देशी मदिरा दुकान / दुकाने ग्राम पंचायतवार अथवा नगर निगम/परिषद/ पालिका के वार्ड वार अथवा उनके समूह में जिस रूप में अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं उनकी उस आबकारी जिले की सूचि इन दिशा निर्देशो के साथ उपलब्ध करवाई जायेगी जिस जिले से यह विवरण प्राप्त किया जा रहा हैं। राज्य की समस्त दुकानो के संदर्भ में यह विवरण विभाग की वेबसाईट (बिन्दु सख्या 3.1 में web address है) पर देखा जा सकता हैं । प्रत्येक दुकान हेतु निर्धारित वार्षिक राशि का विवरण उस सूचि में अंकित हैं । किसी दुकान/दुकान समूह की बेसिक लाईसेंस फीस उस दुकान / दुकान समूह की राशि की 12.5% होगी। सफल आवेदक को बेसिक लाईसेंस फीस (जो कि धरोहर राशि के अलावा हैं) दिनांक 20.03.2008 तक जमा करानी होगी।

5. सत्यांकर राशि

देशी दुकानों हेतु सत्यांकर राशि (earnest money) संबंधित दुकान की वार्षिक राशि की 5 प्रतिशत राशि होगी । इस राशि का संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बनाया गया डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा । जिस आवेदन के साथ निर्धारित सत्यांकर राशि संलग्न नहीं होगी, उस पर आगे विचार नहीं किया जायेगा । जिस आवेदक का अनुज्ञापत्र हेतु चयन हो जाता है, उसके द्वारा जमा कराई गई सत्यांकर राशि धरोहर राशि पेटे समायोजित कर दी जायेगी ।

6. धरोहर राशि अदायगी

6.1 सफल आवेदक को धरोहर राशि के रूप में वार्षिक राशि की 12.5% राशि जमा करानी होगी।

6.2 आवेदक के नाम स्वीकृति जारी होने पर 5 प्रतिशत सत्यांकर राशि के समायोजन पश्चात् वार्षिक राशि की 3.75 प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक से 3 दिन में (लाटरी के दिन को छोड़कर) व शेष 3.75 प्रतिशत लाटरी की दिनांक (लाटरी के दिन को छोड़कर) से 10 दिन में जमा करानी होगी।

6.3 यदि आवेदक किसी स्टेज पर उक्त अनुसार निर्धारित अवधि में रकम जमा नहीं करवाता है, तो उस स्टेज तक उसके द्वारा जमा सत्यांकर राशि / धरोहर राशि/बेसिक लाईसेंस फीस राजसात् कर उसके पक्ष में जारी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु पृथक से कोई नोटिस नही दिया जायेगा।

7. दुकानों का संचालन

7.1 आवेदक को अपनी दुकान पर मात्र देशी मदिरा बेचने की ही अनुमति होगी।

7.2 अनुज्ञाधारी को अपनी समस्त आपूर्ति राजस्थान राज्य गगानगर शुगर मिल्स के निर्धारित गोदाम से लेनी होगी जिसमें न्यूनत्तम 40 प्रतिशत आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा उत्पादित देशी मदिरा की होगी। राज्य के निजी क्षैत्र में कार्यरत डिस्टलरीज द्वारा निर्मित की गई देशी मदिरा भी राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के गोदामो पर बिक्री हेतु सम्बन्धित डिस्टलरीज द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकेगी तथा इस देशी मदिरा का विक्रय मूल्य डिस्टलरी द्वारा घोषित दर में 20 प्रतिशत मार्जिन / हेण्डलिंग चार्जेज जोड़कर निर्धारित किया जायेगा ।

7.3 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से नीची दर पर मदिरा का विक्रय नही कर सकेगें ।

7.4 दुकानों के बारे में अन्य प्रावधान संलग्न अनुज्ञापत्र शर्तो में है । आवेदक को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिये । किसी भी आवेदक के आवेदन पर स्वीकृति जारी हो जाने के उपरान्त यदि वह उसे आवंटित दुकान के क्षेत्र / कस्बे / गांव में दुकान नहीं लगा पाता है, तो भी वह वार्षिक राशि या उसके द्वारा जमा करवाई गई किसी भी प्रकार की राशि में छूट अथवा उसकी वापसी का अधिकारी नहीं होगा ।

8. कम्पोजिट दुकाने

8.1 राज्य के ग्रामीण क्षैत्रो में स्थित देशी मदिरा दुकानो पर इस हेतु निर्धारित राशि अदा कर भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर की रिटेल बिक्री की जा सकेगी ।

8.2 किसी नगरपालिका अथवा नगर निगम अथवा नगर परिषद की सीमा या उसके urban agglomeration (जो भी अधिक हो) की सीमा से 5 किलोमीटर तक की दूरी में यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई दुकान अवस्थित होती है, तो उससे लगते नगरपालिका/नगर परिषद/ नगर निगम क्षेत्र में दुकान हेतु जो दर प्रभावी है, वही दर ऐसी दुकान हेतु लागू होगी, जो कि निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	शहर/कस्बे/गांव का विवरण	लाईसेन्स फीस की राशि (लाख रूपये में)
1	जयपुर एवं जोधपुर	3.80
2	अन्य संभागीय मुख्यालय, जैसलमेर एवं माउण्ट आबू	3.15
3	अन्य जिला मुख्यालय	2.50
4	उक्त के अलावा शेष समस्त नगरपालिकाऐं	1.85
5	शेष ग्रामीण क्षैत्र	0.25

9. दुकानों की संख्या व अवस्थिति

देशी मदिरा दुकान / दुकाने उसके लिये निर्धारित ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम /परिषद/पालिका के सम्बन्धित वार्ड में किसी भी नियमानुकूल अवस्थिति पर लगाई जा सकेगी परन्तु ;

(i) नगरपालिका क्षैत्रो से लगते ग्रामीण क्षैत्र में नगरपालिका सीमा से 2.5 किलोमीटर सीमा दूरी में कोई नई दुकान (अर्थात् ऐसी दुकान जो वर्ष 2007–08 में संचालित नही हुई हो) नही लगाई जा सकेगी ।

(ii) दो पड़ौसी समूहो में अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा रोकने के उद्धेश्य से जिला आबकारी अधिकारी उचित निर्णय ले सकेगा ।

10. आबकारी शुल्क व अन्य प्रभार

10.1 देशी मदिरा पर रूपये 116.67 प्रति प्रूफ लीटर की दर से आबकारी शुल्क लगाया जायेगा ।

10.2 अनुज्ञाधारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से परमिट फीस का भुगतान भी करना होगा ।

10.3 इसके अतिरिक्त मदिरा के मूल्य का भुगतान राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स को किया जाना होगा ।

11. देशी मदिरा दुकानों हेतु आवेदन उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 04. 03. 2008 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेगें । जिस जिले की दुकान/दुकानो हेतु आवेदन किया जा रहा है, आवेदन फार्म उसी जिले मे जमा कराना होगा । इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । किसी दुकान / दुकान समूह हेतु निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा । किसी दुकान के लिये लॉटरी उस जिले में निकाली जायेगी जहां पर कि वह दुकान अवस्थित होनी है ।

12. रिटेल ऑफ दुकानों का आवंटन/लॉटरी प्रक्रिया

12.1 उक्त पैरा संख्या 11 अनुसार लॉटरी अपेक्षित होने पर लॉटरी निकालने की यह कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा संबंधित जिला मुख्यालय पर दिनांक 05–03–2008 को प्रातः 11.00 बजे की जायेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी आवेदन प्राप्ति की अंतिम समय सीमा से पूर्व जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी । इस कार्यवाही के दौरान उस दुकान के समस्त आवेदक उपस्थित रह सकते है । आवेदकों को चाहिये कि लॉटरी निकालने की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रवेश हेतु वह आवेदन पत्र की दी गई रसीद (आवेदन पत्र का भाग – 3) अपने साथ रखें ।

12.2 किसी दुकान के लिए लॉटरी निकालने के लिये उस दुकान हेतु प्राप्त समस्त आवेदन के भाग 2 को पृथक कर ऐसी समस्त पर्चियों को एक साथ डालकर लॉटरी निकाली जायेगी ।

12.3 किसी दुकान/ दुकान समूह हेतु दो अतिरिक्त आवेदको की एक आरक्षित सूचि (reserve list) बाबत भी लॉटरी निकाली जायेगी ताकि यदि मूल सूचि में चयनित कोई आवेदक निर्धारित अवधि में धरोहर राशि की राशि जमा नही करवाता हैं तो आरक्षित सूचि में से उसी वरीयता क्रम में स्वीकृति जारी की जा सके ।

13. आबकारी आयुक्त को अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर दें । आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की इस प्रक्रिया के बारे में किसी भी प्रकार का संशय / विवाद उत्पन्न होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान – सरकार
आबकारी – विभाग

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत देशी मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र संख्या .... दिनांक : ....

अनुज्ञाधारी का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पूर्ण पता

उपर्युक्त व्यक्तियों को विभाग द्वारा निदेशित राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के गोदाम से देशी मदिरा प्राप्त कर समूह क्षेत्र में अवस्थित दुकान / दुकानों पर खुदरा विक्रय करने हेतु दिनांक ....से .... तक की अवधि के लिए नीचे वर्णित शर्तों पर अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।

देशी मदिरा समूह का नाम :..

समूह में निर्धारित दुकानों की संख्या : ....

समूह में निर्धारित दुकानों का विवरण: ....

....

....

....

इस अनुज्ञापत्र की पालना सुनिश्चित करने के लिये उक्त अनुज्ञाधारी/अनुज्ञाधारियों ने वर्ष 2008–09 की निर्धारित वार्षिक राशि की वांछित 12.5 प्रतिशत नकद धरोहर राशि (अर्नेस्टमनी की राशि को समायोजित करते हुए) जमा करा दी है ।

देशी मदिरा खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र (लाईसेन्स) की शर्ते

1. <u>राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों आदि की पालना :–</u>

अनुज्ञाधारी, राजस्थान आबकारी अधिनियिम, 1950 (राजस्थान अधिनियम संख्या–2, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 एवं आवेदन के सदर्भ में जारी विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द रहेगा।

2. <u>वार्षिक राशि एवं अन्य राशियाँ तथा उनका भुगतान :–</u>

2.1 अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 24 एवं 30 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम संख्या 67 (आई) के अधीन एकाकी विशेषाधिकार के लिए वर्ष 2008–09 (दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009 तक) की अवधि के लिए निर्धारित वार्षिक राशि रूपये ....(अंकों में) रूपये .... (शब्दों में) का भुगतान करना होगा।

2.2 अनुज्ञाधारी को निर्धारित दुकान / दुकानों की वार्षिक राशि की 12.5 प्रतिशत राशि बतौर बेसिक लाईसेंस फीस इस हेतु निर्धारित दिनांक तक जमा करानी होगी ।

2.3.1 एकाकी विशेषाधिकार की वार्षिक राशि में से उपर्युक्त शर्त 2.2 में वर्णित बेसिक लाइसेंस फीस जमा कराने के बाद शेष वसूली योग्य राशि का भुगतान समतुल्य 12 मासिक किश्तों में करना होगा। माह का आशय कैलेण्डर माह से है। प्रत्येक माह की मासिक किश्त का भुगतान उस माह की अंतिम दिनांक तक करना होगा। देशी मदिरा पर भुगतान की गई आबकारी ड्यूटी का मासिक किश्त की राशि के प्रति रिबेट (भराव) देय होगा जो किसी भी दशा में मासिक किश्त की राशि से अधिक नही होगा परन्तु माह अप्रेल से जून के मध्य मासिक किस्त से अधिक उठाई गई मदिरा का भराव माह जुलाई से सितम्बर की किस्तो पेटे दिया जा सकेगा।

2.3.2 विलम्ब से जमा करायी गयी राशि पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा। ब्याज के भुगतान करने के लिये पृथक से नोटिस की आवश्यकता नही होगी।

2.4 अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 69–बी के अन्तर्गत देय फीस पृथक से भुगतान करनी होगी।

2.5 उपर्युक्त राशियों के अलावा अन्य फीस एवं कर प्रभार, अगर कोई है, का अलग से भुगतान करना होगा।

3. <u>अनुज्ञापत्र की वैधानिक स्थिति :–</u>

3.1 जिन व्यक्तियों के पक्ष में अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है वे व्यक्ति ही अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जायेगे तथा वे ही इस अनुज्ञापत्र के तहत निर्धारित क्षेत्र में देशी मदिरा की बिक्री करने हेतु अधिकृत होंगे।

3.2 अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञापत्र हस्तान्तरित नही कर सकेगा । अनुज्ञापत्र की अवधि में अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने पर मदिरा समूह को नियमानुसार फिर से उठाया जा सकेगा। यदि अनुज्ञाधारी का कोई वैध वयस्क उत्तराधिकारी हो, तो उसकी प्रार्थना पर अनुज्ञापत्र उसके नाम पर जारी किया जा सकेगा। किसी समूह में एक से अधिक अनुज्ञाधारी होने की स्थिति में यदि किसी अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाती है तो शेष अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र की शर्तों से यथावत बाध्य रहेंगे।

3.3 ''व्यक्तियों के समूह'' के नाम पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की स्थिति में स्वीकृत ''व्यक्तियों के समूह'' में सम्मिलित समस्त व्यक्ति सह–अनुज्ञाधारी की श्रेणी में आयेंगे एवं अनुज्ञापत्र की शर्तों से बाध्य होंगे। सभी सह–अनुज्ञाधारी आबकारी बकाया एवं अन्य दायित्वों के भुगतान के लिए संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा। ऐसे ''व्यक्तियों के समूह'' में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होंगे।

3.4 व्यवसाय संचालन हेतु यदि कोई अनुज्ञाधारी किसी अन्य व्यक्ति को साथ लेकर ''व्यक्तियों का समूह'' बनाना चाहता हो अथवा ''व्यक्तियों के समूह'' में अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करना चाहता हो तो इसके लिए उसे नियमानुसार राशि जमा कराते हुये अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा । इस प्रकार नये सम्मिलित व्यक्ति भी अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जावेगें एवं वे आवेदन के संबंध में जारी विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञापत्र की शर्तों से बाध्य होंगे। साथ ही ऐसे व्यक्ति सभी दायित्वों के भुगतान हेतु संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा। ऐसे ''व्यक्तियों के समूह'' में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होंगे।

4. <u>धरोहर राशि (**Security Deposit**) हैसियत प्रमाण – पत्र / जमानत :</u>

4.1 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र शर्तो की पालना सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक राशि की 12.5 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में आवेदन प्रपत्र के संलग्न विस्तृत दिशा निर्देश व शर्तो में दी गई अवधि में जमा करानी होगी। अनुज्ञाधारी द्वारा आवेदन

के साथ प्रस्तुत सत्यांकर राशि (earnest money) धरोहर राशि पेटे समायोजित कर ली जायेगी।

4.2 धरोहर राशि का समायोजन वर्ष 2008–2009 की अन्तिम मासिक किश्तों के पेटे किया जा सकेगा।

4.3 अनुज्ञाधारी की सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण – पत्र अनुसार आर्थिक हैसियत दुकान/दुकान समूह की वार्षिक राशि की 5 प्रतिशत होनी चाहिये । यदि उसकी स्वयं की हैसियत इस अनुरूप नही हैं तो इससे शेष राशि की मोतबीर जमानत पेश करनी होगी।

5. दुकानों की अवस्थिति :–

5.1 अनुज्ञाधारी अनुज्ञा के लिए निर्धारित क्षेत्र (यथा ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम/परिषद/ पालिका का वार्ड अथवा उसका समूह) में देशी मदिरा की निर्धारित दुकानों की संख्या तक किसी भी स्थान पर नियमानुसार दुकान लगा सकेगा, परन्तु इसके लिये उसे अपने क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी से दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करानी होंगी। बिना स्वीकृति के अनुज्ञाधारी दुकानों का संचालन नही कर सकेगा। नगर पालिका क्षैत्रो से लगते ग्रामीण क्षैत्र में नगरपालिका सीमा से 2.5 किमी दूरी में कोई नई दुकान (अर्थात ऐसी दुकान जो वर्ष 2007–08 में संचालित नही हुई हो) नही लगाई जा सकेगी।

5.2 अनुज्ञाधारी दुकानें प्रारम्भ करने से पूर्व दुकानों की अवस्थिति की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारी द्वारा चाही गई अवस्थिति पर दुकान लगाने की स्वीकृति देने से मना कर सकता है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा उसके द्वारा देय राशियों में छूट पाने का हकदार नही होगा। साथ ही वह अन्य स्थान पर नियमानुसार दुकान स्वीकृत कराने हेतु आवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

5.3 जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर स्वीकृत स्थान से दुकान हटवा सकेगा। इस प्रकार स्वीकृत दुकानों को एक स्थान से उसी समूह क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने या बन्द रहने या संचालन नही करने पर अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा वार्षिक/मासिक किश्त की राशि में छूट पाने का हकदार नही होगा।

5.4 निर्धारित दुकानों की संख्या तक दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत नही कराने अथवा किसी कारणवश उन्हें संचालित नही करने की स्थिति में अनुज्ञाधारी उसके द्वारा देय राशियों में किसी प्रकार की छूट पाने का हकदार नही होगा।

5.5 अनुज्ञाधारी मदिरा की दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नही लगा सकेगा,

परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबंध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा। महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानों के लिए यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बन्द होने के एक घण्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी।

5.6 अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नही लगा सकेगा। हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।

5.7 अनुज्ञाधारी राष्ट्रीय राज मार्ग व राज्य राज मार्ग के मध्य से दोनों ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तय दूरियों पर विकसित बाजारों में दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करा सकेगा, किन्तु जहां ऐसे बाजार नही है वहां मार्ग के मध्य से दोनों ओर 150 मीटर की दूरी तक दुकान नही लगा सकेगा किन्तु यह शर्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका की आधिकारिता एवं सीमा से गुजरने वाले उक्त मार्गों पर लागू नही होगी।

5.8 दुकानों की अवस्थिति बाबत् उक्त प्रतिबन्धों में पर्याप्त कारण होने पर आबकारी आयुक्त शिथिलता प्रदान कर सकेंगे।

5.9 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर कम से कम 75 X 125 से.मी. आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम, दुकान का विवरण, दुकान खुलने व बन्द होने का समय तथा दुकान जिला आबकारी अधिकारी से अनुमोदित होने आदि का उल्लेख हो, लगाना होगा। नगरपालिका क्षेत्र के भीतर की दुकानों के लिए जब तक कि आबकारी आयुक्त की स्वीकृति न हो, तब तक केवल एक ही दरवाजा सार्वजनिक सड़क पर होगा। यदि अधिक दरवाजे स्वीकृति से खुले हो तो प्रत्येक दरवाजे पर ऐसा साईन बोर्ड लगाना होगा। आमतौर से मदिरा की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके। दुकान का काउण्टर विहित रीति के अनुसार रखना होगा। जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एवं उसके अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नही रख सकेगा। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को किसी प्रकार का प्रलोभन नही दे सकेगा, जैसे कि गाना, नाच व रेडियों/टेलीविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा।

5.10 सभी मदिरा दुकानों को स्वच्छ रखना होगा तथा नियमित रूप से साफ–सफाई रखनी होगी। मदिरा के स्टॉक को दुकान में व्यवस्थित रूप से रखना होगा। विक्रय की जाने वाली विभिन्न किस्म की मदिरा को दुकान के भीतर उचित रूप से प्रदर्शित (Display) करना होगा।

5.11 कानून व व्यवस्था की दृष्टि से किसी दुकान की अवस्थिति वर्जित स्थान पर होने की दशा में अगर उस दुकान को बन्द करवाया जाता है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञाधारी उस समूह क्षेत्र में अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार दुकान खोल सकेगा परन्तु ऐसा करने पर वार्षिक / मासिक किश्त की राशि के भुगतान में किसी प्रकार की छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।

5.12 अनुज्ञाधारी नियमानुसार राशि का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से स्वीकृत कराई गई दुकान को अपने क्षैत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा।

5.13 समूह में एक से अधिक दुकाने होने पर अनुज्ञाधारी देशी मदिरा के भण्डारण हेतु उसी समूह क्षेत्र में नियमानुसार एक देशी मदिरा खुदरा गोदाम निःशुल्क स्वीकृत करा सकेगा जो समूह की किसी दुकान से 200 मीटर से अधिक दूर अवस्थित नही होना चाहिये ।

6. दुकानों का संचालन :–

6.1.1 दुकान खुली रहने का समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक रहेगा, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

6.1.2 वर्तमान में नियत 4 शुष्क दिवसों पर एवं भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकानें बंद रखनी होगी। शुष्क दिवसों की सूचना अनुज्ञाधारी संबंधित आबकारी निरीक्षक से प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त दुकान को बन्द रखने व बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय–समय पर लगाये जावेंगे उनका पालन भी अनुज्ञाधारी को करना होगा और इसके लिए उसे न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न उसके द्वारा देय राशि में ही कोई कमी की जावेगी। यदि अनुज्ञाधारी की दुकानें कानून व व्यवस्था संबंधी कारणों से बन्द रहती है तो भी देय राशि में किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी। शुष्क दिवसों की पठनीय सूची दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी।

6.1.3 राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त अथवा अनुज्ञापत्र देने वाला अधिकारी अनुज्ञाधारी को बिना नोटिस दिये शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश मदिरा के विक्रय के समय में परिवर्तन कर सकेगा या दुकान बन्द रखने की आज्ञा दे सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न देय राशि में कोई कमी की जायेगी।

6.2 देशी मदिरा अनुज्ञाधारी अपनी आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के निर्धारित गोदाम से लेगा और उसे अपनी दुकान पर सबसे अधिक सीधे मार्ग से अथवा पास में अंकित मार्ग से नियत समय में सुरक्षित रूप से लायेगा और उसके लिए पास भी साथ रखना होगा। दूसरे स्थान या किसी भी अन्य

अनुज्ञाधारी से मदिरा नही ला सकेगा, न अपने पास रख सकेगा और न ही उसका विक्रय कर सकेगा।

6.3 अनुज्ञाधारी को अपने क्षेत्र की दुकान / दुकानों तथा विभाग द्वारा स्वीकृत खुदरा गोदाम के मध्य माल लाने व ले जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी से अलग से परमिट लेने की आवश्यकता नही होगी। इस हेतु ''परिवहन घोषणा पत्र'' अनुज्ञाधारी द्वारा जारी किया जावेगा। परिवहन घोषणा–पत्र पुस्तिका विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को जारी की जावेगी। इस घोषणा–पत्र की मान्यता अवधि एक दिन की होगी।

6.4 अनुज्ञाधारी अपनी दुकान पर अधिकृत रूप से क्रय की गई देशी मदिरा का ही विक्रय कर सकेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना अन्य कोई पदार्थ न तो रख सकेगा और न ही बेच सकेगा। मदिरा में किसी प्रकार की मिलावट या परिवर्तन भी नही कर सकेगा।

6.5 अनुज्ञाधारी मदिरा लाने व बेचने के लिए किसी वयस्क व्यक्ति को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की स्वीकृति से ही नौकर रख सकेगा परन्तु ऐसे व्यक्ति के प्रत्येक काम के लिए अनुज्ञाधारी स्वयं उत्तरदायी होगा। अनुज्ञाधारी की किसी विशेष कारण से अनुपस्थिति की अवस्था में अनुज्ञाधारी के पिता एवं अनुज्ञाधारी के वयस्क पुत्र को इस संबंध में लिखित स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी। अनुज्ञाधारी मदिरा बेचने व लाने के लिए अपनी दुकान पर किसी ऐसे व्यक्ति को नौकर नही रख सकेगा जिसे कोई संक्रामक रोग हो या जो आबकारी एवं फौजदारी जुर्म में आदतन अपराधी अथवा वान्टेड हो। दुकान पर मदिरा बेचान करने वाले अधिकृत नौकर को उचित वेशभूषा में रहना होगा तथा उसे अपने नाम तथा विभाग द्वारा नौकरनामे के अनुमोदन के क्रमांक व दिनांक के उल्लेख वाली पट्टिका/ लेमिनेटेड कार्ड लगाना होगा।

6.6 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक अपनी दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी और हर समय स्टॉक में देशी मदिरा की इतनी मात्रा रखनी होगी, जो 15 दिन की बिक्री के लिए पर्याप्त हो। मदिरा का सारा स्टॉक उसी दुकान या स्वीकृत खुदरा गोदाम पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा, जिसके लिए उसे अनुज्ञापत्र दिया गया है।

6.7.1 अनुज्ञाधारी मदिरा बन्द बोतलों/अद्धों/पव्वों में ही विक्रय कर सकेगा। जनजाति क्षेत्र में पाउच उपलब्ध करवाने पर पाउच में भी देशी मदिरा की बिक्री की जा सकेगी ।

6.7.2 स्वीकृत दुकानों पर किसी भी प्रकार का मदिरापान करना/कराना पूर्णतः निषिद्ध होगा।

6.7.3 ऐसे अनुज्ञाधारी जो देशी मदिरा की खुली बिक्री करना चाहते हैं, आवश्यक स्वीकृति हेतु आबकारी आयुक्त को निवेदन कर सकते हैं। केवल उन्हीं दुकानों पर देशी मदिरा की खुली बिक्री की जा सकेगी जिनसे जुड़े ''अहाते'' में बैठकर

मदिरा पान कर सकने की अनुमति ले ली गई है। अहाता स्वीकृत करने के लिए आबकारी आयुक्त सक्षम होंगे। ''अहाते'' को स्वीकृत करने के संबंध में निम्न शर्तें लागू होगी :–

(अ) ''अहाते'' के लिए प्रति दुकान निम्न वार्षिक शुल्क देना होगा :

1. एक लाख या उससे अधिक की आबादी वाले नगरपालिका क्षेत्र में	रूपये	20,000 / –
2. एक लाख से कम आबादी वाले नगरपालिका क्षेत्र में	रूपये	12,000 / –
3. अन्य स्थान	रूपये	8,000 / –

(ब) अहाता की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होगी –

1. अहाता के लिए प्रस्तावित स्थल पर अहाता लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। स्थल का मानचित्र (नक्शा) जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त से अनुमोदित कराना होगा।
2. मुख्य मार्गो एवं बाजारों में अहाता स्वीकृत नही किया जायेगा।
3. अनुज्ञाधारी को अहाते की लोकेशन इस प्रकार रखनी होगी कि बाहर जाने वाले व्यक्ति को अहाते का भीतरी भाग दिखाई नहीं दें।
4. अहाता स्थल का निर्विवाद आधिपत्य स्वयं अनुज्ञाधारी का होना चाहिये।

(स) 1. अहाता दुकान से जुड़ा होना चाहिए परन्तु ऐसी दुकान, जहां से बोतल बंद मदिरा की बिक्री होती है, में बैठकर पीने की अनुमति नही होगी। अनुज्ञाधारी अहाते के रूप में अनुमोदित परिसर में ग्राहक के बैठने का समुचित प्रबन्ध करेगा। वह स्थान मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त होगा और वहां शौचालय की समुचित व्यवस्था होगी। साथ ही अनुज्ञाधारी ''अहाते'' की सफाई और लाईट की पूरी एवं पुख्ता व्यवस्था करेगा। अनुज्ञाधारी को अहाते में अग्निशमन यंत्र रखना भी आवश्यक होगा। अनुज्ञाधारी को दुकान बंद करने के साथ ही अहाते को भी बंद करना होगा।

2. अनुज्ञाधारी को अहाता पर एक साईनबोर्ड कम से कम 75 X 125 से.मी. लगाना होगा जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम, दुकान नम्बर तथा अहाता नम्बर लिखना आवश्यक होगा।

(द) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि अनुज्ञाधारी अहाता सुविधा का दुरूपयोग कर रहा है या उसकी समुचित व्यवस्था नही कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ''अहाते'' की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी और अनुज्ञाधारी द्वारा जमा कराया गया ''अहाता शुल्क'' वापस नही लौटाया जायेगा।

6.8 अनुज्ञाधारी किसी एक व्यक्ति को एक समय में 3 लीटर से अधिक देशी मदिरा सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना एक साथ नही बेच सकेगा, लेकिन राज्य सरकार जब भी उचित समझेगी तब अधिसूचना जारी कर इस मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकेगी, जिसकी पालना अनुज्ञाधारी को करनी होगी। ऐसी आज्ञा के विरूद्व वह कोई आपत्ति नही कर सकेगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा।

6.9.1 अनुज्ञाधारी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का होश हवास दुरूस्त न हो, मदिरा नही बेच सकेगा। इसी प्रकार पुलिस व सेना के सिपाही या रेल व आबकारी के कर्मचारियों को भी जो वर्दी पहने हुए या ड्यूटी पर हो, मदिरा नही बेच सकेगा। वाहन चालकों को एवं हवाई जहाज के पायलटों को भी यात्रा के दौरान मदिरा नही बेच सकेगा।

6.9.2 अनुज्ञाधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार दंगा, फसाद या जुआ नही होने देगा और ऐसे लोगों को जो कुख्यात बदमाश हों, दुकान पर आने नहीं देगा और रात को ऐसे बदमाशों को अपनी दुकान पर नही ठहरायेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आवे जिसके विषय में पुलिस द्वारा दस्तान्दाजी योग्य और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञाधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर काम करता हो तो उसका कर्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरन्त निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दें।

6.9.3 अगर अनुज्ञाधारी या उसका कोई प्रतिनिधि अन्य देशी मदिरा समूह क्षेत्र में अवैध रूप से देशी मदिरा भेजते हुए पाया जाता है तो अन्य कानूनी कार्यवाही के अलावा उस पर उचित शास्ति भी आरोपित की जा सकेगी ।

6.10 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर मदिरा का विक्रय नही कर सकेगा ।

6.11 जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञाधारी किसी मेले में अस्थाई तौर पर दुकान नही लगा सकेगा।

7. अभिलेखों का संधारण :-

7.1 अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा व एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी। यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में

मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा। प्रतिदिन का हिसाब दुकान बंद करने के साथ उसी दिन ही लिखना होगा और मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हलके के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा।

7.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर, परमिट पास एवं मदिरा का तमाम स्टॉक, इत्यादि जांच हेतु बतलाना होगा तथा उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा।

7.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुज्ञापत्र रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा के बचे हुए स्टाक एवं समस्त रिकार्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी। समस्त रिकार्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा। निस्तारण होने तक बचा हुआ स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्र धारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होंगे।

8. अनुज्ञापत्र को निरस्त करना :

8.1 अनुज्ञाधारी को मासिक किश्तों का भुगतान अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2.3.1 के तहत निर्धारित अवधि तक करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि तक की मासिक किश्त को जमा नही कराने पर इसे अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लघंन माना जायेगा तथा इस आधार पर अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

8.2 यदि अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी को किसी समय यह विश्वास हो कि अनुज्ञाधारी अपनी दुकान चालू नही रखता है अथवा ठीक तौर पर नही चलाता है अथवा किसी भी प्रकार आबकारी शुल्क व अन्य आबकारी प्रभारों की अपवंचना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित है अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण हों तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8..3 अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 अथवा आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों तथा उसमें उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उनके सजायाब होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.4 यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से मदिरा, अफीम या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से मदिरा को बेचने का या अफीम

या अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका संबंध है जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का संदेह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.5 अनुज्ञाधारी अथवा उसके नौकर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियिम, 1950 उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 अथवा आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों अथवा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.6 अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी, अनुज्ञाधारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त अनुज्ञापत्र निरस्त कर सकेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने पर अनुज्ञाधारी अथवा उसके वारिस किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने के हकदार नही होंगे।

8.7 अनुज्ञापत्र निरस्त करने वाले अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञापत्र को अनुज्ञाधारी की जोखिम एवं लागत पर निरस्त कर उसके द्वारा प्रस्तुत की गई धरोहर राशि (अमानत राशि को सम्मिलित करते हुये) को जब्त सरकार कर सके। साथ ही दुकान / दुकानों के पड़त रहने अथवा दोबारा ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से दुकान / दुकानों के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे सम्बन्धित अनुज्ञाधारी की विभाग के पास उनकी जमा किसी भी राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत कोलेटरल सिक्युरिटी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत तथा भू–राजस्व की बकाया वसूली की भाँति उनकी समस्त चल–अचल सम्पतियों से तथा उनके वारिसों/ उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी । अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। यदि दुकान / दुकानों के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो अनुज्ञाधारी उसे पाने के हकदार नहीं होगें।

9. बकाया राशियों की वसूली :–

अनुज्ञाधारी के विरूद्व किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व मय ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली विभाग के पास अनुज्ञाधारी की किसी भी जमा राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कोलेटरल सिक्युरिटी से तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू–राजस्व की बकाया की भाँति अनुज्ञाधारियों तथा उनके वारिसों/ उत्तराधिकारियों से की जायेगी। अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उनके वारिसों / उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा।

10. अन्य बिन्दु :–

10.1 अनुज्ञाधारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह आबकारी अधिनियम व नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट के तहत कारित अपराध उसकी जानकारी में आने पर जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को अविलम्ब सूचना देगा।

10.2 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे।

10.3 इस अनुज्ञापत्र के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र अनुज्ञापत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का मुख्यालय रहेगा।

अनुज्ञापत्र देने वाले के हस्ताक्षर

प्रतिसंविद

अनुज्ञापत्र संख्या .... जिला ....
.

समूह का नाम ....

मैं/हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तों तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ/करतें हैं।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

आबकारी निरीक्षक

प्रति हस्ताक्षर

वृत ....

जिला आबकारी अधिकारी